Result Mitra Daily Magazine

3 नए अधिनियम और उसका स्थानीय भाषा में अनुवाद

हालिया सन्दर्भ -

- 1 जुलाई 2024 से देश में तीन नए अधिनियम लागू हो जाएंगे जो 150 वर्ष से ज्यादा पुराने कानून का स्थान लेंगे।
- यह तीन नए अधिनियम भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रस्थापित करेंगे।
- इन अधिनियमों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
- लगभग सभी राज्य इसकी क्रियान्वयन की तैयारी कर रहे हैं जिनमें नौकरशाहों, न्यायाधीशों एवं पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना आदि शामिल है।
- हालांकि एक बड़ी चिंता यह बनी हुई है कि अभी तक इन कानून को क्षेत्रीय भाषाओं में आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है।
- इन कानूनों का स्थानीय भाषा में अनुवाद यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि लोगों, पुलिस स्टेशनों, ट्रायल कोर्ट एवं जेलों तक इसकी क्षेत्रीय समझ विकसित हो सके।

प्रक्रियागत प्रयास -

- कानून पारित होने के 3 महीने बाद, मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यों को इन कानूनों का अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करने के निर्देश दिए थे।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों को दिसंबर में ही स्वीकृति प्रदान कर दिया था।
- वैसे तो आपराधिक कानून समवर्ती सूची में आते हैं, लेकिन ये तीनों संदिताएँ केंद्रीय कानून है।
- कानूनों को प्रभावी होने में कुछ ही दिन शेष हैं लेकिन कई राज्यों में इसे अनुवादित होने में 6 महीने से भी ज्यादा समय लगेगा।
- सामान्यतः अनुवाद संबंधी कार्य राज्यों द्वारा किया जाता है एवं केंद्र को जांच के लिए भेजा जाता है तथा यदि कोई बदलाव किया जाता है तो उसे कानून मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। अंत में सभी राज्यों को उनके राजपत्र में अधिसूचना के लिए भेजा जाता है।

Result Mitra

भाषा की अनिवार्यता -

- संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से 13 भाषाओं में शुरुआती दौर में अनुवाद करना आवश्यक है, जिसमें तमिल, गुजराती, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और पंजाबी शामिल है।
- डोगरी तथा संथाली सहित कुछ आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग न्यायालयों में नहीं किया जाता है।
- वास्तव में सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी में इन कानूनों को पूरे देश में लागू करना विशाल नौकरशाही तंत्र के लिए प्रभावी पहुंच सुनिश्चित नहीं करेगा।
- लाखों न्यायिक कर्मचारियों तथा पुलिस बलों को स्थानीय भाषा में इन कानूनों को समझाने समझने की जरूरत होगी।
- कर्नाटक, केरल एवं पंजाब जैसे राज्य कानूनों को स्थानीय भाषा क्रमशः कन्नड़, मलयालम एवं पंजाबी में अनुवादित करने के लिए प्रयासरत है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) -

- इस वर्ष 1860 में तैयार किया गया था लेकिन 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया।
- इसे वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप तैयार किया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) -

- CrPc को वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ एवं 1 अप्रैल 1974 में प्रभावी हुआ।
- यह भारत में आपराधिक कानून की प्रक्रियाएं प्रदान करता था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम -

- इसे वर्ष 1872 में अधिनियमित किया गया था।
- यह भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य एवं साक्ष्य की स्वीकार्यता को विनियमित करने वाले नियमों का सेट था।

आठवीं अनुसूची -

- इस अनुसूची के तहत भारत के आधिकारिक भाषाओं का प्रावधान किया गया है जिसका उपबंध संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 - 351 तक है।
- मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भाषाएँ थी, जिनमें निम्न शामिल है:
- असमिया 2. बांग्ला 3. गुजराती 4. हिंदी 5. कश्मीरी 6. मलयालम 7. मराठी 8. पंजाबी 9. संस्कृत 10. तमिल 11. तेलुगू 12. ओड़िआ 13. कन्नड़ 14. उर्दू
- 21 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 के द्वारा सिंधी को (15) शामिल किया गया।

Result Mitra

- 71 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी (16), मणिपुरी (17) एवं नेपाली (18) को इस सूची में शामिल किया गया।
- 92 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा बोडो (19), डोगरी (20), मैथिली (21) एवं संथाली (22) को शामिल किया गया।

Result Mitra